#### <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.क्रमांक—1031 / 2010</u> संस्थित दिनांक—30 / 12 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा चौकी सालेटेकरी आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — **अभियोजन** 

### विरुद्ध

हैदरखान पिता हफीज खान, उम्र—37 वर्ष, निवासी—दमोह, थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

<u>अभियुक्त</u>

### // <u>निर्णय</u> //

## <u>(आज दिनांक—18/09/2014 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 146/196 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—08.11.2010 को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम दमोह चौराहा थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी.50/एम.सी.1729 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत कवडू को ठोस मारकर घोर उपहित किया, मौके पर वाहन का रिजस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस पेश नहीं किया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।
- 2— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—08.11.2010 को समय 11:00 बजे स्थान स्थान ग्राम दमोह चौराहा थाना बिरसा अंतर्गत मोटरसायकल वाहन कमांक—एम.पी.50 / एम.सी.1729 को लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और आहत कवडू की सायकल को ठोस मार दिया और कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गया, जिससे आहत कवडू बेहोश हो गया। आहत को अस्पताल बैहर में ईलाज हेतु भर्ती किया गया। उक्त घटना की सूचना अस्पताल बैहर द्वारा थाना बैहर में दी गई। उक्त सूचना पर थाना बैहर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—0 / 2010, अंतर्गत धारा—279, 337 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर थाना बिरसा द्वारा असल कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—132 / 2010, धारा—279, 337 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना

रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मुलाहिजा करवाया गया था, पुलिस ने विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी द्वारा मौके पर वाहन के दस्तावेज आदि पेश न करने और वाहन को बिना बीमा के चालन किये जाने से मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3) / 177, 146 / 196 तथा आहत कवडू की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग होने से धारा—338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।
- 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक—08.11.2010 को समय 11:00 बजे स्थान ग्राम दमोह चौराहा थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी. 50 / एम.सी.1729 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत कवडू को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया?
  - 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर मौके पर उक्त वाहन का रजिस्टेशन, बीमा व फिटनेस पेश नहीं किया ?
  - 4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?

# विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत कवडू (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष दीपावली के समय सुबह लगभग 10:00 बजे की है। वह अपने घर पर जा रहा था तो सड़क के चौराहे के पास आरोपी मोटरसाइकिल से आया और पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे वह गिर गया और उसे चोट आयी। उक्त घटना में आरोपी की गलती थी, क्योंकि वह अपने साईड से जा रहा था। उसका मुलाहिजा हुआ था तथा पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी पीछे से आ रहा था इसके कारण उसके वाहन की कितनी गति थी, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी सायकल असंतुलित होने से वह गिर गया था और पैर फसने के कारण उसे चोट आयी थी। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-06.11.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के सैनिक महिपाल क्रमांक-245 द्वारा आहत कवडू पिता धनिराम को परीक्षण हेत् लाया गया था। उसके द्वारा उक्त आहत का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमे आहत को एक कटी-फटी चोट दाहिने ऐड़ी पर, एक फुला हुआ गुम्मा सिर के अग्र भाग पर तथा एक खरोंच का निशान जो कि ग्रेस प्रकृति का था दाहिने हाथ में बाहर की ओर पाया था। आहत को आयी सभी चोटे सामान्य प्रकृति की थी तथा जो कि कड़ी, बोथरी एवं खुरदुरे सतह से आना प्रतीत होती थी। उसके द्वारा आहत को ईलाज हेतु भर्ती किया गया था तथा जांच हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास रिफर किया गया था। उसके द्वारा आहत का एक्सरे परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत के ऐड़ी के उपरी जोड पर अस्थि भंग होना पाया था। आहत की उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है तथा एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत कवडू को घटना के समय शरीर में अन्य चोट के साथ पैर में अस्थि भंग होने की भी पुष्टि की है।

7— अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत साक्षी राजेश पटले (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को तथा प्रार्थी को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व सुबह 11—12 बजे दमोह चौराहे की है। चौराहे के पास भीड़ लगी थी तो वह जाकर देखा तो सायकल और मोटरसाइकिल गिरी पड़ी थी और कवडू के पैर में चोट थी तथा आरोपी उपस्थित था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने दुर्घटना होते हुए और आरोपी के द्वारा तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर आहत की सायकल को टक्कर मारने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को चोट कैसे आयी, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।

- 8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण विष्णुसिंह (अ.सा.८) ने भी दुर्घटना के बारे में जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने मात्र यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना में आहत कवडू एवं आरोपी दोनों को चोट आयी थी, किन्तु साक्षी ने शेष महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है आहत कवडू एवं आरोपी को चोटे कैसे आयी थी, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया गया है।
- 9— धनराज नंदा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि ने वह दिनांक—19.11.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक—132/2010, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन विवेचना हेतु प्राप्त हुआ था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा बिसनूसिंह की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा साक्षी बिसनूसिंह, राजेश, जग्गू वाघाड़े तथा कवडू के कथन उनके बताये अनुसार लेख

किया गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में मामले में की गई उक्त कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में अनुसंधान के दौरान तैयार नजरी नक्शा एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

10— रामिकशोर मात्रे (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—06.11.2010 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे दिनांक—29.12.2010 को प्रधान आरक्षक धनराज नंदा द्वारा विवेचना हेतु डायरी सौंपी गई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा आरोपी से एक बजाज मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / एम.सी.1729 मय दस्तावेज के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार अनुसंधान के दौरान साक्षी ने प्रकरण में दुर्घटना कारित वाहन को मय दस्तावेज के जप्त करने और आरोपी को गिरफतार करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

11— प्रधान आरक्षक जग्गू वाघाड़े (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—12.11.2010 को थाना बेहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे शासकीय अस्पताल बेहर से तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिस पर उसके द्वारा आहत कवडू पिता धनिराम का मुलाहिजा करवाया गया था तथा उसके कथन लेख किये गये थे। मुलाहिजा एवं कथन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक—0/2010, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अपराध कमांक—0/2010, धारा—279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन असल नम्बर पर कायमी हेतु थाना बिरसा भेजा गया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उक्त कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध मे समर्थनकारी साक्ष्य पेश किया

- 12— प्रधान आरक्षक लखन भिमटे (अ.सा.१) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—17.11.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना बैहर से प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—0/2010, धार—279, 337 भा.द.वि. प्रदर्श पी—7 प्राप्त हुआ था, जिसे असल नम्बर पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन कमांक—132/2010, धार—279, 337 भा. द.वि. प्रदर्श पी—8 लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने मामले में असल कायमी किये जाने का समर्थन किया है।
- 13— अनिल मरकाम (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिन के 11:00 बजे दमोह चौराहे की है। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी तथा गिरफतार नहीं किया गया था। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—5 और गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी—6 पर उसके हस्ताक्षर है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था तथा दस्तोवेजों को पुलिस ने पढ़कर नहीं सुनाया। इस प्रकार साक्षी ने पुलिस द्वारा की गई उक्त कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।
- 14— प्रकरण में अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी स्वयं फरियादी/आहत कवडू (अ.सा.1) ने अभियोजन का समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है, जबिक अन्य साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। आहत कवडू (अ.सा.1) की इस संबंध में साक्ष्य अखिण्डत रहीं है कि उसे आरोपी ने मोटरसाइकिल को पीछे से लाकर टक्कर मार दी, जिससे उसे चोट आयी थी। आहत को आयी चोट के संबंध में चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.3) ने अपनी चिकित्सीय अभिमत में इस तथ्य का समर्थन किया है कि घटना के समय आहत कवडू के परीक्षण में उसने आहत को साधारण चोटों के साथ एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके पैर में अस्थि भंग होना पाया था, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार आहत कवडू को घटना के समय अस्थि भंग होने के कारण घोर

उपहित कारित होने का तथ्य प्रमाणित है। मामले में की गई प्राथिमकी एवं अनुसंधान कार्यवाही से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना स्थल लोकमार्ग पर आरोपी के द्वारा वाहन का चालन किया जा रहा था। आरोपी के आधिपत्य से ही दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल जप्त की गई थी। यद्यपि अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट नहीं किया है कि आरोपी के द्वारा तथाकथित वाहन को बिना बीमा कराये चलाया जा रहा था और उसने मौके पर वाहन का रिजस्टेशन, बीमा व फिटनेस पेश नहीं किया। अतएव आरोपी द्वारा मोटर यान अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में अभियोजन पर प्रमाण भार होने के कारण अभियोजन की ओर से उक्त के संबंध में साक्ष्य के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने मोटर यान अधिनियम का कथित अपराध कारित किया।

15— प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किये जाने एवं एकमात्र आहत की साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। यद्यपि विधि का यह सुर्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में फरियादी/आहत कवडू की साक्ष्य अखण्डित रही है, इस कारण उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। मामले में चिकित्सीय साक्षी एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से अभियोजन को समर्थन प्राप्त होता है। ऐसी दशा में अन्य साक्षीगण के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने से अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है और न ही इस कारण मामला संदेहास्पद माना जा सकता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन वाहन क्रमांक—एम.पी.50 / एम.सी.1729 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर

मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत कवडू को ठोस मारकर अस्थि भंग कर घोर उपहित कारित किया। अभियोजन ने यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया, मौके पर वाहन का रजिस्टेशन, बीमा व फिटनेस पेश नहीं किया। अतएव आरोपी को मोटर यान अधिनियम की धारा—130(3)/177, 146/196 के अंतर्गत दोषमुक्त कर शेष अपराध भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

- 17— आरोपी को मामले की परिस्थित को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दण्डित कर छोड़ा जावे।
- 18— मामले में दुर्घटना के समय आहत के साथ आरोपी को भी चोट आना प्रकट होता है। आरोपी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अपराध के अंतर्गत कमशः 1000/—, 1000/—(एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक—एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।
- 19— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।
- 20— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नही रहा है, इसके संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकल वाहन क्रमांक—एम.पी.50 / एम.सी. 1729 सुपुर्ददार गुलाम खान वल्द महबूब खान, निवासी दमोह थाना बिरसा, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

ATTHORY PREID BUILTING THE STATE OF THE STAT